फलसिंह बनाम 48 तेजो वगैरह
दावा सं. 91/02

हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प अटल सेवा केन्द्र मोराका में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान ने लोक-अदालत की भावना से प्रेरित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा दिनांक 29-6-11 को न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया है कि "विवादित अ. ख. नं. $\frac{47}{0.60}$ वाके ग्राम रानोता तहसील नगर हम प्रति० नं. 1 व 2 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसे हम प्रतिवादीगण 1 व 2 ने जरिये रजि० बयनामा दि० 15.9.95 को वादीगण को विक्रय कर दिया वक्त बयनामा से रकबा वि. आ. पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है हम प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है। ऐसी सूरत में मुताबिक राजीनामा वादीगण को काबिज काश्त मानकर आ० मु० सम्बंधित राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।"	
उभय पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं. 2056-59 ग्राम रानोता EXP-1 के खाता सं. 52 पर वि. आ. ख. नं. $\frac{47}{0.60}$, $\frac{48}{0.53}$ की बाबत — "मु. तेजो बेवा मामला व चन्द्राम पुत्र मामला जाति चमार सा. कुंचावडा हाल निवासी पाली तहसील रामगढ़ अलवर खातेदार" दर्ज है तथा लाल स्याही से नोट अंकित है कि - "इं. नं. 272 सम्पूर्ण खाता मकबूजा सरकार सिवायचक दर्ज हुआ।" फोटो प्रति निर्णय दि. 13.2.2001 द्वारा सहायक कलक्टर नगर मुकदमा प्रा. पत्र सं. 10/96 उनवानी तहसीलदार नगर बनाम मामला वगै० अ[illegible] Signature Not Verified [illegible] अवलोकन से यह साबित होता [illegible] तहसीलदार नगर ने दि. 1-3-19[illegible] Digitally signed by Surendra Prasad Date: 2023.09.05 12:16:37 IST Reason: SelfAttested प्रस्तुत किया कि खाता[illegible] 16 बिस्वा मामला पुत्र कुडून चमार [illegible] था, इस पर सं. 2030 में रत्ती पुत्र राम सहाय [illegible] नाम दर्ज हो गया, जिससे धारा 46(A) R.T. Act का उल्लंघन हुआ है। इस प्रा. पत्र पर बाद सुनवाई तत्कालीन सहायक कलक्टर नगर ने दिनांक 13.2.2001 को निर्णय पारित किया कि —	

लगातार

खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज
	"प्रा० पत्र U/S 175 प्रतिवादी तहसीलदार नगर स्वीकार किया जाता है। आ० ख० नं० साबिक 165 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख० नं० 47/0.60, 48/0.53 वाके ग्राम रानोता से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर भूमि कब्जे राज्य ली जावे व इसके राजस्व रिकार्ड में निवाणचह्न के अंकन किये जावें।" उक्त आदेश की पालना में वि० आ० निवाणचह्न दर्ज रिकार्ड है तथा तहसीलदार नगर ने अपने पत्रांक/राजस्व/2014/368 दि० 5.7.14 से अवगत कराया है कि - उक्त आराजी को वर्ष 2014-15 कृषि इंतजाम हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/राजस्व/14/255-58 दि० 24-6-14 द्वारा नीलामी इश्तहार जारी किये जा चुके हैं, तारीख नीलामी 10.7.2014 नियत की गई है। उक्त समस्त विवेचन से यह साबित है कि विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निवाण चह्न दर्ज है जिसकी इंतजाम काश्त प्रतिवादी तहसीलदार नगर द्वारा की जा रही है। वि० आ० से सम्बंधित विवाद न्यायालय में सन् 1976 से विचाराधीन रहा है, जबकि वादीगण द्वारा वि० आ० का बयनामा दिनांक 15.9.1995 को कराया गया है। जो मुकदमा विचाराधीन रहने के दौरान कराया गया है, तथा वि० आ० की बाबत न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही अपना निर्णय पारित किया जा चुका है। अब इसी वि० आ० से सम्बंधित बयनामा के आधार पर इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं रह जाता है। वादीगण चाहें तो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.2.2001 - U/S 175 RTAct के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं। [illegible] दावा इसी स्टेज पर [illegible] वादीगण का [illegible] आदेश आज दिनांक [illegible] में सुनाया गया [illegible] मजमे आम (हेमराज पर्डवाल) 14.5.15 कैम्प रानोता उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:16:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner